

उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
बिहार, पटना।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 तथा उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम, 2020 के प्रावधानों के आलोक में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (राज्य आयोग) में सदस्य, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (जिला आयोगों) में अध्यक्ष एवं सदस्यों के रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु विज्ञापन।

विज्ञापन संख्या- 05/2022

उपभोक्ता संरक्षण, अधिनियम, 2019 तथा उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम, 2020 के प्रावधानों तथा चयन समिति की दिनांक 18.08.2022 को संपन्न बैठक के निर्णय के आलोक में बिहार राज्य में राज्य आयोग के सदस्य, जिला आयोगों में अध्यक्षों एवं सदस्यों के कुल 28 पदों पर नियुक्ति हेतु उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा सुयोग्य उम्मीदवारों, जो भारत के नागरिक हों, से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के वेबसाइट <https://state.bihar.gov.in/fcp> पर प्रदर्शित है।

1. रिक्तियाँ :

- 1.1 राज्य आयोग में न्यायिक सदस्य के रिक्त पदों की संख्या - 01 (रिक्त दिनांक 29.11.2022 से प्रभावी)
- 1.2 जिला आयोग में अध्यक्ष तथा सदस्यों के रिक्त पदों की संख्या - 27
- 1.2.1 जिला आयोग का कम से कम एक सदस्य अथवा अध्यक्ष महिला होगी।
- 1.2.2 जिला आयोग में अध्यक्ष के रिक्त पदों की विवरणी :

क्र०	जिला का नाम	अध्यक्ष हेतु रिक्त पदों की संख्या
1	वैशाली	01
2	पूर्वी चम्पारण	01 (दिनांक 31.12.2022 से प्रभावी)
3	मधुबनी	01
4	जमुई	01 (दिनांक 06.11.2022 से प्रभावी)
	कुल	04

1.2.3 जिला आयोगों में सदस्य के रिक्त पदों की विवरणी :

क्र०	जिला का नाम	सदस्य हेतु रिक्त पदों की संख्या
1	पूर्वी चम्पारण	01
2	पटना	01 (महिला हेतु आरक्षित)
3	भोजपुर	01 (महिला हेतु आरक्षित)
4	सिवान	01 (महिला हेतु आरक्षित)

5	गोपालगंज	01 (महिला हेतु आरक्षित)
6	दरभंगा	01 (महिला हेतु आरक्षित)
7	मधुबनी	01 (महिला हेतु आरक्षित)
8	समस्तीपुर	01 (महिला हेतु आरक्षित)
9	मधेपुरा	01 (महिला हेतु आरक्षित)
10	किशनगंज	01 (महिला हेतु आरक्षित)
11	कटिहार	01 (महिला हेतु आरक्षित)
12	मुंगेर	01 (महिला हेतु आरक्षित)
13	खगड़िया	01 (महिला हेतु आरक्षित)
14	बेगूसराय	01 (महिला हेतु आरक्षित) (दिनांक 31.12.2022 से प्रभावी)
15	लखीसराय	01 (महिला हेतु आरक्षित)
16	शेखपुरा	01 (महिला हेतु आरक्षित)
17	जमुई	01 (महिला हेतु आरक्षित)
18	भागलपुर	01 (महिला हेतु आरक्षित)
19	बांका	01 (महिला हेतु आरक्षित)
20	सहरसा	02 (01 पद महिला हेतु आरक्षित)
21	पूर्णिया	02 (01 पद महिला हेतु आरक्षित)
	कुल	23

2. पात्रता :-

2.1 राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (राज्य आयोग) के न्यायिक सदस्य के लिए पात्रता:-

- (क) उम्र सीमा- दिनांक 01.04.2022 को, 40 वर्ष से कम न हो एवं 65 वर्ष से अधिक न हो।
- (ख) किसी जिला न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अथवा किसी न्यायाधिकरण में समकक्ष स्तर में अथवा जिला न्यायालय और न्यायाधिकरण में संयुक्त रूप से कम-से-कम

दस वर्ष का अनुभव हो, परन्तु नियुक्ति किए जाने वाले ऐसे सदस्यों की संख्या दो से अधिक नहीं होगी।

2.2 जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग (जिला आयोग) के अध्यक्ष के लिए पात्रता:-

- (क) उम्र सीमा:- दिनांक 01.04.2022 को 65 वर्ष से अधिक न हो।
- (ख) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधान के आलोक में कोई व्यक्ति, जो जिला न्यायालय के न्यायाधीश हैं या रह चुके हैं या होने योग्य हैं, जिला आयोग के अध्यक्ष होंगे।

2.3 जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग (जिला आयोग) के सदस्यों के लिए पात्रता:-

- (क) उम्र सीमा- दिनांक 01.04.2022 को 35 वर्ष से कम न हो एवं 65 वर्ष से अधिक न हो।
- (ख) शैक्षणिक योग्यता- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त हो; और
- (ग) क्षमतावान, सत्यनिष्ठापूर्ण और प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और उपभोक्ता मामले, विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबंधन, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम-से-कम पंद्रह वर्ष का अनुभव रखता हो।

3. राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य की नियुक्ति के लिए अनर्हता

3.1 कोई व्यक्ति राज्य आयोग के सदस्य अथवा जिला आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अनर्ह होगा, यदि वह-

- (क) ऐसे किसी अपराध जिसमें नैतिक अधमता सम्मिलित हो, के लिए अभियोजित किया गया हो और कारावास की सजा प्राप्त हो; अथवा
- (ख) दिवालिया घोषित किया गया हो; अथवा
- (ग) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अस्वस्थ मस्तिष्क और सोच का घोषित किया गया हो; अथवा
- (घ) राज्य सरकार अथवा केंद्रीय सरकार अथवा ऐसी सरकार के स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रणाधीन किसी निकाय कार्पोरेट की सेवा से हटाया गया हो अथवा निष्कासित किया गया हो; अथवा
- (ङ.) राज्य सरकार की राय में, सदस्य के रूप में उसके कार्यों से वित्तीय अथवा अन्य लाभों पर हानिकारक प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

4. राज्य आयोग के सदस्यों तथा जिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल

4.1 राज्य आयोग के सदस्यों तथा जिला आयोग के अध्यक्षों तथा सदस्यों की चार वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक के लिए नियुक्ति की जायेगी तथा 65 वर्ष की आयु के अध्यक्षीन चार वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे।

5. राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को देय वेतन एवं भत्ते :-

5.1 राज्य आयोग के सदस्यों और जिला आयोग के अध्यक्षों एवं सदस्यों को वेतन एवं भत्ते उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम, 2020 के प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।

6. प्रत्येक आवेदक राज्य आयोग या जिला आयोग में किसी एक रिक्त पद के विरुद्ध ही आवेदन कर सकेंगे। जिला आयोग में रिक्त पद के विरुद्ध आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक आवेदक द्वारा मात्र एक जिले के लिए आवेदन दिया जा सकेगा।
7. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित है-

I	ऑनलाईन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	दिनांक 01.09.2022
II	ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि	दिनांक 15.09.2022 को 05:00 बजे अपराहन तक

- 7.1 इस विज्ञापन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की योग्यता/छूट अनुमान्य नहीं होगी। चयन की पूरी कार्रवाई ऑनलाईन आवेदन एवं अनुलग्नकों तथा उनके सत्यापन पर आधारित होगी।
- 7.2 ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में आवेदक द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि हेतु किसी प्रकार का सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 7.3 ऑनलाईन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं तथा अपलोड किए गये दस्तावेजों का मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार के त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- 7.4 ऑनलाईन आवेदन में अंकित ई-मेल/मोबाईल नम्बर तथा प्राप्त यूजर नेम एवं पासवर्ड को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। आवेदकों को सूचना ऑनलाईन प्रणाली/ईमेल/ईलेक्ट्रॉनिक मैसेज से दी जाएगी। कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।
- 7.5 इंटरनेट व्यवधान के लिए चयन समिति उत्तरदायी नहीं होगा। अतः आवेदक अंतिम तिथि की प्रतीक्षा नहीं करेंगे एवं इसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
- 7.6 आवेदक हाल का अपना एक स्वहस्ताक्षरित फोटोग्राफ तथा अंग्रेजी में हस्ताक्षर अन्य स्वअभिप्रमाणित विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन में निर्धारित स्थान पर अपलोड करेंगे। आवेदक संतुष्ट हो लेंगे की अपलोड किया गया फोटोग्राफ, अंग्रेजी हस्ताक्षर का ईमेज सुस्पष्ट है।
- 7.7 योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख आवेदक ने मूल आवेदन पत्र में किया है। ऑनलाईन आवेदन के क्रम में स्व-अभिप्रमाणित प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- 7.8 आवेदक को सभी वांछित प्रमाण पत्र मूल में आवश्यकतानुसार सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र मूल में आवश्यकतानुसार प्रस्तुत नहीं करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द मानी जाएगी तथा चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
- 7.9 इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ विभाग के वेबसाईट <https://state.bihar.gov.in/fcp> पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।
- 7.10 इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाईन आवेदन से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन या कोई प्रमाण-पत्र/दस्तावेज किसी भी माध्यम से स्वीकार नहीं किये जायेंगे। साथ ही, अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।
- 7.11 प्रत्येक अध्यक्ष अथवा सदस्य की नियुक्ति उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम, 2020 के आलोक में शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाणपत्र, जिसे सिविल सर्जन अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित किया गया हो, प्रस्तुत किए जाने के अध्यक्षीन होगी।

7.12 नियुक्त के पूर्व, चयनित अभ्यर्थी एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा कि उसके कोई वित्तीय अथवा अन्य लाभ नहीं है अथवा नहीं होंगे जिनसे अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में उसके कार्यकरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ने की संभावना हो।



सचिव,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
बिहार, पटना।